रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248804 CG-DL-E-18092023-248804

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3925]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

No. 3925]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 18 सितम्बर. 2023

सं. 46/2023-केन्द्रीय कर

का.आ. 4090(अ).—बोर्ड, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 5 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (5) में उल्लिखित अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में उल्लिखित सूचनाओं के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित सूचना प्राप्तकर्ता के संबंध में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित अधिकारियों को प्रदत्त या उन पर अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है, अर्थात:-

5917 GI/2023 (1)

सारणी

क्र.सं.	सूचना प्राप्तकर्ता का नाम और पता	सूचना संख्या और तारीख	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों का नाम	प्राधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स इनकुआत इंफ्रासोल प्राइवेट लिमिटिड, प्रथम तल, मकान सं 2067/8, फ्लैट सं 101, ई विंग, रूपकमल पलाज़ा, राजलक्ष्मी कल्हेर ठाणे के सामने, भिवंडी, ठाणे -421302	39/ पी के/ इनकुआत/2021-22 दिनांक 25.03.2022	संयुक्त या अपर आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भिवंडी आयुक्तालय	संयुक्त या अपर आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ठाणे आयुक्तालय [डीजीजीआई मामलों के न्यायनिर्णयन का प्रभार संभाल रहे हैं]

[फा. सं. सीबीआईसी-20016/16/2023-जीएसटी]

राघवेंद्र पाल सिंह, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

No. 46/2023-Central Tax

S.O. 4090(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and section 3 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Board, hereby appoint officers mentioned in column (5) of the Table below to act as the Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticee mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of notice mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl.	Name of Noticee and Address	Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authority	Name of the Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s Inkuat Infrasol Pvt. Ltd., 1 st Floor, H.No. 2067/8, Flat No. 101, E-Wing, Roopkamal Plaza, opp. Rajlaxmi kalher Thane, Bhiwandi, Thane- 421302.	39/PK/Inkuat/2021-22 dated 25.03.2022	Joint or Additional Commissioner, CGST and Central Excise Bhiwandi Commissionerate.	Joint or Additional Commissioner, CGST and Central Excise Thane Commissionerate [holding the charge of adjudication of DGGI cases].

[F. No. CBIC-20016/16/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director